



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 10.06.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 153/26 धारा 305(a)/331(4)/317(2)61(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 30 हजार रुपये नगद, दुकान के 03 बिल, पाजेब 04 जोड़ी, पाजेब सिंगल 11, टूटी हुई पाजेब 11 टुकड़े, आर्टिफिसियल सफेद धातु, 01 छैनी घटना में प्रयुक्त व एक बैग तथा थाना रुड़की हरिद्वार से सम्बन्धित लेडीज कढ़े 03 (सफेद धातु), बच्चे के हाथ का कड़ा (सफेद धातु), लेडीज 12 बिछुआ (सफेद धातु), गणेश जी की 01 मूर्ती (सफेद धातु), 01 राधेकृष्ण की मूर्ति (सफेद धातु), लेडीज हाथ की 02 अंगूठी, 02 बांसुरी छोटी (सफेद धातु), पाजेब 01 जोड़ी (सफेद धातु), 02 पाजेब सिंगल (सफेद धातु), छोटे बच्चे का हाथ का 01 ब्रेसलेट (सफेद धातु) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.05.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री आजाद पुत्र बाबू निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा सराय रोड बिनौली स्थिति वादी की दुकान का ताला तोड़ कर गल्ले में रखे 04 लाख 80 हजार रुपये नगद व आर्टिफिसियल पाजेब व अन्य



कागजात चोरी कर लिये हैं। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 153/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 153/26 धारा 305(a)/331(4)/317(2)/61(2) बीएनएस में प्रकाश में आये वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से उपरोक्त मुकदमें में चोरी किया हुये 30 हजार रुपये नगद व दुकान के 03 बिल व 04 जोड़ी पाजेब, 11 पाजेब सिंगल, 11 टुकड़े टूटी हुई पाजेब आर्टीफीसियल सफेद धातु, घटना में प्रयुक्त 01 छैनी व एक बैग तथा थाना रुड़की हरिद्वार से सम्बन्धित लेडीज 03 कड़े (सफेद धातु), बच्चे के हाथ का कड़ा (सफेद धातु), लेडीज 12 बिछुआ (सफेद धातु), गणेश जी की 01 मूर्ती (सफेद धातु), राधेकृष्ण की 01 मूर्ति (सफेद धातु), लेडीज हाथ की 02 अंगूठी (सफेद धातु), 02 बांसुरी छोटी (सफेद धातु), पाजेब 01 जोड़ी (सफेद धातु), 02 पाजेब सिंगल (सफेद धातु), छोटे बच्चे का हाथ का ब्रेसलेट (सफेद धातु) बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली जनपद बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना बिनौली पुलिस द्वारा अभियुक्तों 1-शोएब पुत्र यामीन निवासी भैसा रोड नागर कॉलोनी करबा मवाना थाना मवाना जिला मेरठ उम्र- 36 वर्ष, 2- आफताब आलम पुत्र मन्जूर आलम निवासी शान्तिनगर थाना कृष्णनगर दिल्ली उम्र- 36 वर्ष, 3- एक महिला व वांछित अभियुक्त, शाहदत पुत्र अकीम निवासी ए 44 एफ ब्लॉक सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली, नवाब पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम दरकावदा थाना बिनौली जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आए थे जिन्हें दिनांक 07.06.2026 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। दिनांक 10.06.2026 को प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त शहादत खान पुत्र सराफत अली हकीम खान नि0 ई 44/ए-431 न्यू सीमापुरी झुग्गी थाना न्यू सीमापुरी शहादरा नई दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार कर प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शहादत खान पुत्र सराफत अली हकीम खान नि0 ई 44/ए-431 न्यू सीमापुरी झुग्गी थाना न्यू सीमापुरी शहादरा नई दिल्ली उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 30 हजार रुपये नगद।
- दुकान के 03 बिल

- 04 जोडी पाजेब,
- 11 पाजेब सिंगल,
- 11 टुकडे टूटी हुई पाजेब आर्टीफीसियल सफेद धातु,
- घटना में प्रयुक्त 01 छैनी व एक बैग
- थाना रुड़की हरिद्वार से सम्बन्धित लेडीज 03 कड़े (सफेद धातु), बच्चे के हाथ का कड़ा (सफेद धातु), लेडीज 12 बिछुआ (सफेद धातु), गणेश जी की 01 मूर्ति (सफेद धातु), राधेकृष्ण की 01 मूर्ति (सफेद धातु), लेडीज हाथ की 02 अंगूठी (सफेद धातु), 02 बांसुरी छोटी (सफेद धातु), पाजेब 01 जोडी (सफेद धातु), 02 पाजेब सिंगल (सफेद धातु), छोटे बच्चे का हाथ का ब्रेसलेट (सफेद धातु)

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
- 2-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत
- 3-रि0का0 147 विनय कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 10.06.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/26 धारा 303(2) बीएनएसएस – 2023 मोबाइल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी वाई-29 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.06.26 को थाना खेकड़ा पर वादी अतुल चौहान पुत्र कंछिद सिंह निवासी ग्राम कल्याणपुर थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड ने लिखित सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का मोबाइल फोन वीवो कम्पनी वाई-29 को थिंक गैस पम्प पर बने काउन्टर से चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 184/26 धारा 303(2) बीएनएसएस-2023 पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाना खेकड़ा के मु0अ0सं0 184/26 धारा 303(2) बीएनएसएस-2023 चोरी का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी वाई-29 बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस-2023 की बढोत्तरी की गई। थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इरफान उर्फ आतंक पुत्र फैजुद्दीन उर्फ फिजुद्दीन निवासी रजा मस्जिद के पास मुस्तफाबाद लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त इरफान उर्फ आतंक का आपराधिक इतहास-

1. मु0अ0सं0 411/20 धारा 381/411 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 419/20 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 421/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 709/22 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लोनी जनपद गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 184/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- फोन वीवो कम्पनी वाई-29

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री अमित कुमार चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-रि0का0 543 सचिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 10.06.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 185/26 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से कटी हुई शीशम के 12 लट्टे वजन करीब 23 कुन्तल 30 किलो तथा घटना में प्रयुक्त गाडी अशोक लीलैन्ड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 09.06.2026 को थाना खेकडा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त अरवाज पुत्र शहजाद निवासी मदीना मस्जिद के पास कस्बा रटौल थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से शीशम के 12 लट्टे वजन करीब 23 कुन्तल 30 किलो मय घटना में प्रयुक्त गाडी अशोक लीलैन्ड न0 UP14ST2867 बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 185/26 धारा 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. अरवाज पुत्र शहजाद निवासी मदीना मस्जिद के पास कस्बा रटौल थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- शीशम के 12 लट्टे वजन करीब 23 कुन्तल 30 किलो
- घटना में प्रयुक्त सीज शुदा गाडी अशोक लीलैन्ड न0 UP14ST2867

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री भुरेन्द्र सिंह चौहान थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 886अमित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत
- 3- है0का0 08 मुकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 10.06.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर



अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सलमान पुत्र रिजवान निवासी पट्टी धनकोशिया कस्बा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री जगवीर सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
2. का० 511 धर्मेन्द्र सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
3. रि०का० 470 योगेश कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।
4. हो०गा० 522 तरुण कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 10.06.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 401/26 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.06.2026 को वादी श्री राजेश कुमार पुत्र स्व0 किशन प्रकाश निवासी आर्य टेन्ट हाऊस दिल्ली सहारनपुर रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.वरुण लुहारी पुत्र बाबूराम मूल निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत हाल



निवासी कस्बा व थाना बडौत, 2.सचिन उर्फ मोन्टु निवासी गुराना रोड कस्बा व थाना बडौत, 3.जयन्त उर्फ गोलू निवासी लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत, 4.बाबूराम पुत्र नामालूम निवासी कस्बा व थाना बडौत , 5.करुण पुत्र बाबूराम निवासी कस्बा व थाना बडौत, 6.अन्य व्यक्ति के द्वारा एक राय होकर अपने हाथों में तमन्चे व पिस्टल लेकर वादी के परिजनों पर जान से मारने की नीयति से फायरिंग किया गया, जिससे वादी के भाई सोहनलाल पुत्र स्व किशनप्रकाश व भतीजे विकास अग्रवाल पुत्र सोहनलाल की गोली लग गयी तथा उपचार हेतु सीएचसी ले जाने पर डाक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 401/26 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 401/26 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

बाबूराम पुत्र उमराव सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत वर्तमान पता नवयुग कॉलोनी करुबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 787 गौरीशंकर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

